संख्या- 17 /2025/ 603/छिहत्तर-1-2025-1612337

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2025

विषयः जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमन्य राज्यांश की एक अतिरिक्त किश्त स्वीकृत किये जाने के सम्वन्ध में। (अनुदान संख्या-81)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-4631/यू0सी0-डब्लू-409/2024-25(Fin-3), दिनांक 27 फरवरी, 2025 एवं पत्र संख्या-4668/डब्लू0-409(यू0सी0)/2024-25/Fin-3, दिनांक 01 मार्च, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के स्क्रो एकाउन्ट में प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमन्य राज्यांश की एक अतिरिक्त किश्त रू 1231.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अतः इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में अनुमन्य राज्यांश की एक अतिरिक्त किश्त की धनराशि रू 1231.05 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/ प्रतिवन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रुपये में)

अनुदान संख्या	पेयजल कार्यक्रम के घटक/ कैटेगरी	भारत सरकार से प्रत्याशित केन्द्रांश	प्रत्याशित केन्द्रांश के सापेक्ष अनुमन्य राज्यांश	स्वीकृत धनराशि
81	Jal Jeevan Mission Grants in aid to State Government Normal Programme	1231.05	1231.05	1231.05
	Total	1231.05	1231.05	1231.05

(रुपये बारह करोड़ इकत्तीस लाख पांच हजार मात्र)

(I) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(II) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(III) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।

(IV) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा ।

(V) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(VI) योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जाय।

(VII) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।

(IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में विहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

(X) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(XI) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(XII) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2024/ बी- 1-294/ दस- 2024-231/2024, दिनांक 04-03-2024 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक -4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-जल जीवन मिशन(के.50/रा.50-के.)-24- वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या यू0ओ0-ई-2-255-X-2024-25 दिनांक 19 मार्च, 2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,
Ambrish Kumar Singh
Date: 21-03-2025 13:22:15 (अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 17 /2025/ 603 (1)/छिहत्तर-1-2025-1612337, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) अनु सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, चतुर्थ तल, सी0जी0ओ0 काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।
(2) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
(3) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, प्रयागराज।
(4) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
(6) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
(9) गार्ड बुक।

आज्ञा से,
Signed by
Om Prakash Chauhan (ओम प्रकाश चौहान)
अनु सचिव।
Date: 21-03-2025 14:07:06